अमृत योजना के तहत सात शहरों की सीवरेज परियोजना स्वीकृत एवं दो शहरों की जलापूर्ति परियोजना तथा तीन शहरों की उद्यान परियोजना डीपीआर स्वीकृत की गई

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना) की स्टेट लेवल टेक्नीकल कमेटी की आठवीं बैठक में सात शहरों उदयपुर, चुरू, सुजानगढ़, नागौर, अजमेर किशनगढ़, ब्यावर की सीवरेज परियोजना को स्वीकृती तथा दो शहरों जयपुर व उदयपुर की जल आपूर्ति एवं तीन शहरों ब्यावर, अलवर, झालावाड़ की उद्यान की डीपीआर को स्वीकृती प्रदान की गई।

बैठक में 674.81 करोड़ रूपये की सीवरेज परियोजना (निविदा स्वीकृती) तथा 152.50 करोड़ रूपये की जलापूर्ति एवं उद्यान परियोजनाओं की डीपीआर को स्वीकृती प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह नें की।

बैठक में 674.81 करोड़ रूपये की सीवरेज परियोजना (निविदा स्वीकृती) तथा 152.50 करोड़ रूपये की जलापूर्ति एवं उद्यान परियोजनाओं की डीपीआर को स्वीकृती प्रदान की गई। उन्होनें बताया कि ब्यावर में 2.50 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने वाले उद्यान की डीपीआर, अलवर में 2.50 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने वाले उद्यान की डीपीआर व झालावाड़ में 2.50 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जाने वाले उद्यान की डीपीआर को स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार जयपुर शहर की जल आपूर्ति की 50 करोड़ रूपये की डीपीआर एवं उदयपुर की 30 करोड़ रूपये की जल आपूर्ति की डीपीआर स्वीकृत की गई।

बैठक में चुरू, सुजानगढ़, नागौर की सीवरेज परियोजना पैकेज 326 करोड़ रूपये की सीवरेज परियोजना को स्वीकृती (निविदा स्वीकृती) तथा अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर सीवरेज परियोजना पैकेज राशि 348.81 करोड़ रूपये की स्वीकृती (निविदा स्वीकृती) तथा उदयपुर की 75 करोड़ रूपये की सीवरेज परियोजना की स्वीकृती (निविदा स्वीकृती) प्रदान की गई।

बैठक में नगर निगम जोधपुर को जोधपुर शहर में बस ट्रांसर्पोटेशन के लिए 3.54 करोड़ रूपये उदयपुर शहर में बस ट्रांसर्पोटेशन के लिए 6.54 करोड़ रूपये तथा अजमेर शहर में बस ट्रांसर्पोटेशन के लिए 5.54 करोड़ रूपये कुल राशि 15.48 करोड़ रूपये की स्वीकृती दी गई। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि अमृत योजना के तहत उपरोक्त तीनों शहरों में सिटी सेमी लो–फ्लोर बसें, सिटी मिडी बसें चलायी जायेगी। जिनमें जीपीएस सिस्टम के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन (ईटीएम) लगी होगी।

बैठक में झालावाड़ एवं सवाई माधोपुर के अरबन ट्रांर्पोटेशन प्रोजेक्ट के दो प्रोजेक्ट डेफर किये गये एवं निर्देश दिये गये कि इन्हें पुनः तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत 35 बिन्दु मांग पत्र पर विचार

स्वायत्त शासन भवन में निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत 35 बिन्दु मांग पत्र पर विचार किया गया।

बैठक में मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती, मृतक आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति सफाई कर्मचारी की ऑन ड्यूटी दुर्घटना में मृत्यु, सफाई कर्मचारियों को नगर निगम, पालिका एवं परिषद क्षेत्र में आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में वाल्मिकी समाज के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, राज्य निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता, सेवा निवृत्ती पश्चात् मेडिकल सुविधा, वर्दी धुलाई भत्ता, साबुन भत्ता, झाड़ू भत्ता, वर्दी सिलाई भत्ता बढ़ाने व सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्यो के साथ सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराने, न्यूतन वेतन दिलाने, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस को कार्यालय हेतु भूमि आवंटित कराने, वाल्मिकी बस्तीयों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर गम्भीरता से विचार–विमर्श किया गया।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं राज्य सरकार के स्तर पर पत्रावली भिजवाई गई है। उन्होनें कहा कि सफाई कर्मचारियों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही हो। इसके लिए विभाग द्वारा नियम बनाये जाने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। उन्होनें सफाई कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी दुर्घटना में मृत्यु होने के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित नगरीय निकायों को निर्देशित किया। उन्होनें बताया कि सफाई कर्मचारियों को नगर निगम, परिषद एवं पालिका क्षेत्र में आवासीय भू–खण्ड उपलब्ध कराने के लिए सभी योजनाओं में पूर्व में नियम बने हुए है। जिनमें राज्य कर्मचारियों को विशेष वरीयता दी जाती है। सफाई कर्मचारियों को विशेष वरीयता दिलाने के लिए प्रावधान किये जाये। इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जायेगा। उन्होनें सफाई कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता दिये जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होनें यह भी निर्देश दिये कि दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूतन वेतन आवश्यक रूप से मिले तथा सभी स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों को वेतन बैंक खाते के माध्यम से ही दिया जाये। इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जायेगा। बैठक में सफाई कर्मचारियों की वर्दी धुलाई भत्ता, साबुन भत्ता, झाड़ू भत्ता, वर्दी सिलाई भत्ता बढ़ाने व सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्यो के साथ सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी विचार–विमर्श किया गया एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।

जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चाद दीवारी के भीतर स्मार्ट रोड़, फसाड, स्मार्ट पार्किंग का निर्माण होगा

जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर शहर की चार दीवारी के भीतर स्मार्ट रोड़, फसाड, स्मार्ट पार्किंग जैसी आधारभूत सुविधाऐं पहले चरण में उपलब्ध कराई जायेंगी।

यह निर्णय नगर निगम जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जयपुर स्मार्ट सिटी लि. के बोर्ड की पंचम बैठक में लिया गया।

बैठक में जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जारी एवं प्रक्रियाधीन विभिन्न कार्यो की समीक्षा की गई। इस दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यो के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। जिसमें बताया गया कि मार्च–2017 के प्रथम सप्ताह में जिन कार्यो की निविदा प्रकिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, उनमें स्मार्ट रोड़ आई.टी. कम्पोनेंट, स्मार्ट क्लास रूम, ई–टॉयलेट व चांदपोल अनाजमण्डी में स्मार्ट पार्किंग निर्माण कार्य शामिल है।

प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने बताया कि 25 जून, 2017 को जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना को 2 वर्ष पूरे हो जायेंगे। उन्होनें कहा कि 25 जून, 2017 से पूर्व परियोजना के तहत पब्लिक बाईसाईक्लिंग शेयरिंग प्रोजेक्ट, कृष्णा सर्किट योजना के तहत पेडेस्टरीयल मूवमेंट वॉक–वे, स्मार्ट क्लास रूम के कार्य पूर्ण किये जाये। उन्होनें निर्देश दिये कि चार दीवारी के भीतर स्मार्ट रोड़ के साथ–साथ पैदल चलने के लिए फुटपाथ का निर्माण/मरम्मत, चार दीवारी के प्रमुख बाजारों में फसाड मरम्मत के कार्य के साथ–साथ, बरामदों की मरम्मत की जाये एवं वहां स्थित ओवर हैड वायरिंग, विज्ञापन पट आदि हटायें जाये तथा बरामदों एवं फसाड को पुरातत्विक स्वरूप प्रदान किया जाये। उन्होनें स्मार्ट क्लास रूम निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिये। बैठक में चांदपोल अनाजमण्डी में स्मार्ट पार्किंग के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली स्मार्ट सुविधाओं के बारे में भी बताया गया।

बैठक में नगर निगम जयपुर के महापौर श्री अशोक लाहौटी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सर्वप्रथम शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के रूप में स्मार्ट रोड़, स्मार्ट पार्किंग उपलब्ध करवाई जाये, जिससे चार दीवारी के भीतर परिवहन के कार्यो में सुविधा उपलब्ध हो तथा शहर की चार दीवारी के प्रमुख बाजारों में फसाड सुधार का कार्य किया जाना चाहिए। उन्होनें कहा कि इन कार्यो के पूर्ण होने से स्मार्ट सिटी कार्यो में विजिब्लिटी आयेगी।

बैठक में कृष्णा सर्किट योजना पर भी विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। उक्त योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राजस्थान पर्यटन विकास निगम की योजना है जिसे स्मार्ट सिटी से जोड़ा गया है। इसके तहत शहर में स्थित मंदिरों को जोड़ते हुए विभिन्न स्थानो पर टेम्पल वॉक–वे बनाये जायेंगे। शहर प्रथम टेम्पल वॉक–वे ताड़केश्वर मन्दिर से पुराना आतिश मार्केट होते हुए गोविन्द देव जी के मंदिर तक बनाया जायेगा। जिसमें पर्यटकों को चलने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

बैठक में ताल कटोरा के जीर्णोद्धार एवं उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की परियोजना पर भी विचार–विमर्श किया गया। इस दौरान बताया गया कि योजना के तहत ताल कटोरा के आस–पास के मकानों को सीवरेज लाईन से जोड़ जायेगा तथा यहॉ पर स्मार्ट रोड़, ड्रेनेज विकसित किये जायेंगे तथा ताल कटोरा के आकर्षण के लिए यहॉ पर लेजर एवं साउण्ड शो शुरू किया जायेगा। शहर में 10 स्थानों पर पब्लिक बाईसाईक्लिंग शेयरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा तथा विभिन्न स्थानों पर साईकल ट्रेक निर्धारित किये जायेंगे। बैठक में चौगान स्टेडियम व पुराना आतिश मार्केट में स्मार्ट पार्किंग निर्माण परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

जयपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के वाईस चेयरमैन के रूप में श्री अशोक लाहौटी, महापौर, नगर निगम जयपुर (महापौर बदलने के कारण) को बनाये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया साथ ही कम्पनी बोर्ड नियमों के तहत स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में प्रबंध निदेशक जेसीटीएसएल श्रीमती आंकाक्षा चौधरी को मनोनीत किया गया। इसी प्रकार पूर्ण कालीन कम्पनी सचिव के रूप में चार्टेड अकाउटेंट के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में कम्पनी बोर्ड के नियम के अंतर्गत पहला ऑडिटर नियुक्त किये जाने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश तथा स्मार्ट सिटी लि. की पूॅजी 200 करोड़ होने के कारण आवश्यक पूर्तियॉ जो कम्पनी नियम के तहत की जानी है, उन्हें पूरा करने के निर्देश भी दिये गये।

रींगस आर.ओ.बी. का लोकार्पण

स्वायत्त शासन मंत्री ने दिया सन्देशः
नागरिक स्वच्छ भारत मिशन मे भाग लेकर अपने प्रदेश को स्वच्छ एवम् स्वस्थ बनायें

अगर सेवा करने की भावना मन मे हो तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढने से कोई नही रोक सकता। स्वच्छ भारत मिशन एक सेवाभावी कार्य है जिसमें प्रदेश का हर नागरिक भाग लेकर अपने परिवार व समाज की सेवा कर सकता है।

यह उद्‌गार रींगस, सीकर व खाटू श्यामजी के यातायात को जोडने वाले नवनिर्मित रोड़ ओवर ब्रिज (ROB) के लोकार्पण के अवसर पर स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवम् आवासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने व्यक्त किये।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवम् आवासन विभाग मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि खाटू श्यामजी का तीर्थस्थल देश में ही नही विश्व में प्रसिद्ध है। यहां आर.ओ.बी. के निर्माण से खाटू श्यामजी के तीर्थयात्रियों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है, इसी लक्ष्य को यहां भी ध्यान में रखा गया है। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। केन्द्र सरकार की भी यही मंशा है कि देश के सभी धार्मिक स्थलों का विकास हो। उन्होने बताया कि प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को 600 करोड़ रुपये गौरव पथ के निर्माण के लिए दिये गये है जिसके तहत प्रत्येक नगरीय निकाय में ढाई करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ का निर्माण किया जा रहा है। उन्होने कहा कि नगरीय निकायों की समस्याओं पर त्वरित गति से निर्णय लेने के लिए प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को विडियो कान्फ्रेन्सिंग से भी जोड़ा जा रहा है।

उन्होने सभा में उपस्थित सभी पार्षदों से पूछा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनका वार्ड खुले में शौचमुक्त हुआ है या नही ? उन्होने कहा कि मई 2017 तक रींगस को खुले में शौच मुक्त बनाया जावे। उन्होने कहा कि आजादी के 70 वर्षो के बाद आज भी प्रदेश के कई वार्ड खुले में शौच मुक्त नही है। उन्होने कहा कि अगर सेवा करने की भावना मन मे हो तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढने से कोई नही रोक सकता। स्वच्छ भारत मिशन एक सेवाभावी कार्य है जिसमें प्रदेश का हर नागरिक भाग लेकर अपने परिवार व समाज की सेवा कर सकता है। उन्होने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र व राज्य सरकार शौचालय बनाने के लिए अनुदान दे रही है। हम सभी को प्रण लेना होगा कि अपने–अपने क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनायें। उन्होने कहा कि हमारा उद्देश्य स्वच्छ एवम् स्वस्थ्य राजस्थान बनाना है। उन्होने रींगस नगर पालिका को निर्देश दिये कि वे अपनी राजस्व आय में बढोतरी करें जिससे नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो। क्षेत्रीय नागरिकों की मांग पर उन्होने सभा में घोषणा की कि शीघ्र ही रींगस नगर पालिका में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की जावेगी तथा साथ ही वहां पर आवश्यक स्टॉफ भी लगाया जावेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 61 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया था। इस परियोजना की कुल लागत 1750 करोड़ है जिसमें राज्यांश 1105 करोड़ व रेल्वे अंशदान 645 करोड़ रुपये है। अब तक 27 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 12 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. का कार्य प्रगति पर है। डीएफसी रुट पर 06 आर.ओ.बी. बनाये जा रहे है। अन्य 12 आर.ओ.बी./ आर.यू.बी. का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

उन्होने बताया कि रींगस, सीकर व खाटू श्यामजी के ट्रेफिक को जोड़ने के लिए रींगस में 46 करोड़ रुपये की लागत से 1130 मीटर लम्बा आर.ओ.बी. बनाया गया है। यह प्रदेश के अत्याधुनिक आर.ओ.बी. में से एक है। इस आर.ओ.बी. के निर्माण से लगभग 1.00 लाख लोग लाभान्वित होंगे तथा आर.ओ.बी. खाटू श्यामजी तीर्थ यात्रियों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। आर.ओ.बी. पर राजस्थान शैली की चित्रकारी की गई है तथा एल.ई.डी. लाईटे लगायी गई है। आर.ओ.बी. के नीचे पार्किंग की सुविधा के साथ–साथ पक्की सीमेण्ट सडक बनायी गई है। इस आर.ओ.बी. का निर्माण राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवम् आधारभूत विकास निगम (RUDSICO) द्वारा किया गया है।

समारोह की अध्यक्षता चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री बंशीधर खण्डेला ने समारोह में उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि रींगस में गत तीन वर्षो में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। रींगस में 1 करोड़ रुपये की लागत से पानी की पाईप लाइन बिछायी गई है, ढाई करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ का निर्माण चल रहा है, 46 करोड़ रुपये की लागत से आर.ओ.बी. का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित को देखते हुए विद्युत की दरों में कमी की गई है।

विधायक एवम् अध्यक्ष, सैनिक कल्याण बोर्ड श्री प्रेम सिंह बाजौर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की कल्याणकारी सरकार ने अल्प समय में ही विकास के नये आयाम प्रदेश में स्थापित किये है।

चित्तौड़ स्थित गम्भीरी नदी को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन महत्व की दृष्टि से विकसित किया जावेगा

चित्तौड़गढ में स्थित गम्भीरी नदी को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन महत्व की दृष्टि से अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रण्ट डवलपमेण्ट प्रोजेक्ट के समान विकसित किये जाने के लिए सोमवार को स्वायत्त शासन भवन में स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवम् आवासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई।

बैठक में स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवम् आवासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने कहा कि गम्भीरी नदी चित्तौड़ नगर में लगभग 3 कि.मी. की लम्बाई में गुजरती है तथा नदी व उस पर बने पुल ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षो से इस नदी एवम् आस–पास के क्षेत्र का बेतरतीब विकास होने से नदी का महत्व कम हो रहा है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की भी मंशा है कि चित्तौड़ स्थित गम्भीरी नदी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जावे। इस भावना को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना तैयार की गई है।

बैठक में परियोजना सलाहकार द्रोणा गुड़गांव शिखा जैन ने गम्भीरी नदी के पुनरोद्धार व सौन्दर्यकरण के लिए तैयार की गई परियोजना के प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि परियोजना के प्रथम चरण में गम्भीरी नदी पर 600 मीटर लम्बाई का एक पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किया जावेगा जिस पर लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। उन्होने बताया कि इस दौरान यहां पर लैण्डस्केप पार्क, चिल्ड्रन पार्क, प्ले एरिया, वृद्धजन पार्क, साईकिल ट्रेक, हर्बल पार्क, योगा गार्डन, ओपर एयर जिम, कैफेटेरिया, बोटिंग, पार्किंग, जन सुविधायें आदि बनाये जायेंगे।

प्रमुख शासन सचिव, डां. मनजीत सिंह ने बताया कि परियोजना को जनसहभागिता योजना के तहत क्रियान्विति के प्रस्ताव के लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होने बताया कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। योजना की क्रियान्विति पर चित्तौड़ एवम् गम्भीरी नदी विश्व पर्यटन पटल पर अपना अहम स्थान स्थापित कर सकेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ने दिये निर्देश

बेघर व्यक्तियों के अधिकारों व शहरी क्षेत्रो में आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन, प्रबंधन एन.यू.एल.एम. की गाईड लाईन के तहत किया जावे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेघर लोगों के आश्रय के अधिकार से सम्बन्धित गठित कमेटी (कोर्ट कमिश्नर्स) के अध्यक्ष माननीय जस्टिस कैलाश गम्भीर (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में बेघर व्यक्तियों के अधिकारों व शहरी क्षेत्राों में आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन, प्रबन्धन एवम् इससे सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए स्वायत्त शासन विभाग में एक बैठक मंगलवार को प्रातः 11.00 बजे आयोजित हुई।

बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष माननीय जस्टिस कैलाश गम्भीर (सेवा निवृत्त) ने सभी अधिकारियों से आश्रय स्थल की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होने निर्देश दिये कि प्रदेश में सभी आश्रय स्थलों का संचालन एवम् रख–रखाव दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरुप ही किया जावे। उन्होने कहा कि प्रदेश में शहरी बेघर लोगों की संख्या जानने के लिए नगरीय निकाय सर्वे करवाए। पूर्व में यह सर्वे वर्ष 2003 में हुआ था। उन्होने कहा कि आश्रय स्थलों के निर्माण एवम् रख–रखाव के लिए वर्ष 2022 तक का एक्शन प्लान बनाया जावे।

उन्होने कहा कि प्रदेश में आश्रय स्थलों का निर्माण एवम् रख–रखाव दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) में निर्धारित गाईड लाईन के अनुरुप किया जावे एवम् वहां सभी सुविधाओं के रुप में सोने के लिए गद्दे, चद्दर, कम्बल, सम्पूर्ण प्रकार की जन सुविधायें, फर्स्ट एड बाक्स, सुरक्षा व्यवस्थाएं आर.ओ., सी.सी.टीवी, स्टोर, किचिन उपलब्ध हों तथा वंहा पर 24 घण्टे प्रशिक्षित केयर टेकर नियुक्त किया जावे। वहां पर मेडिकल की सुविधायें उपलब्ध हों तथा समय–समय पर मेडिकल टीम वहां का निरीक्षण करें एवम् आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करावें। उन्होने आश्रय स्थलों पर महिलाओं के लिए अलग स्थान, सुविधायें उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

उन्होने कहा कि प्रदेश में स्थित आश्रय स्थलों की समस्त जानकारी स्टेट पोर्टल एवम् दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) पोर्टल पर उपलब्ध करवायी जावे जिससे प्रत्येक शहर में स्थित आश्रय स्थलों की कैपेसिटी, आश्रय स्थलों की जानकारी, स्थान, संख्या, सुविधाएं, व्यवस्थाओं की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए तथा सभी शहरों में इनके बारे में

जानकारी के लिए होर्डिग लगवाये जावें तथा बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन पर इनकी जानकारी उपलब्ध करवाई जावे। आश्रय स्थल मे संचालकों के पद सहित दूरभाष नम्बर भी अंकित करवाये जावें।

उन्होने बताया कि दिल्ली में अधिकतर आश्रय स्थलों का संचालन एन.जी.ओ. के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ऐसा राजस्थान में भी किया जा सकता है। उन्होने बताया कि कमेटी ने जयपुर में कुछ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया, वहां पर स्थिति ठीक पाई गई परन्तु सभी आश्रय स्थलों को दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) की गाईड लाईन के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी तथा सभी आश्रय स्थलों के संचालन एवम् रख–रखाव में प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना होगा।

उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि आश्रय स्थलों पर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) में निर्धारित सभी सुविधायें निर्धारित समय में आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाई जावे एवम् इसके लिए आवश्यक रोड़ मैप बनाया जावे।

लेखांकन एवं अंकेक्षण क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य किये जाने पर स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को वी0 रामचन्द्रन अवार्ड

स्वायत्त शासन विभाग को प्रदेश की नगरीय निकायों में दोहरी लेखा पद्धति से लेखों के संधारण एवं अंकेक्षण में उत्कृष्ठ कार्य करने पर सेन्टर फॉर सिटीजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी, बैगलोर द्वारा वी0 रामचन्द्रन अवार्ड द इम्पीरियल होटल, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिल्ली के महामहिम राज्यपाल श्री अनिल बेजल द्वारा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम.वैंकया नायडू की उपस्थिति में प्रदान किया गया। यह अवार्ड स्वायत्त शासन विभाग के मुख्य लेखाधिकारी श्री हुलास राय पवार एवं सहायक लेखाधिकारी श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा ने ग्रहण किया।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश की नगरीय निकायों में गत एक वर्ष में दोहरी लेखा पद्धति से लेखों के संधारण एवं अंकेक्षण कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर स्वायत्त शासन विभाग को वी0 रामचन्द्रन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड प्रदेश को ''इम्पलिमेन्टर केटेगरी'' में दिया गया है।

उन्होनें बताया कि राजस्थान में उपरोक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा एक वर्ष पूर्व जनागृह सेन्टर फॉर सिटीजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी के साथ एमओयू के माध्यम से इस कार्य की शुरूवात की गई जिसमें राजस्थान के सभी शहरी निकायों में वित्तीय वर्ष 2013–14 से (अमृत शहरी निकायो में वित्तीय वर्ष 2012–13 से) उपार्जन आधारित दौहरा लेखा पद्धति से लेखों के संधारण एवं अंकेक्षण हेतु जनागृह द्वारा सीए मनीष जैन एवं विभाग द्वारा कमल दीप शर्मा, सीए एवं राजस्व अधिकारी नगर निगम जयपुर को यह जिम्मेदारी सौपी गई है। मुख्य लेखाधिकारी हुलास राय पवार के निर्देशों, सहायक लेखाधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा, के सहयोग एवं राजस्व अधिकारी श्री शर्मा के निरन्तर प्रयासों से वर्तमान में राजस्थान में 100 से अधिक निकायो के वार्षिक लेखों का संधारण किया जा कर उनकी अंकेक्षित रिपोर्टे विभाग में पेश करवा दी है जो कि इस क्षेत्र में अवार्ड हासिल करवाने हेतु महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल हुयी है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सभी निकायों को निर्देशित किया जा चुका है कि वे वित्त वर्ष 2013–14 से (अमृत शहरी निकायो में वित्तीय वर्ष 2012–13 से) अपने अंकेक्षित वार्षिक लेखों को निकाय की स्वंय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे। जिसके परिणाम स्वरूप जन संधारण द्वारा निकायो के वार्षिक लेखो का आसानी से अवलोकन किया जा सकेगा एवं निकायो के कार्य में पारदर्शिता आयेगी।

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित

राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी ने विधेयक को सदन में रखा। विधेयक के उद्देश्य और कारणों का उल्लेख करते हुए श्री कृपलानी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने तथा राज्य को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को लागू करने के साथ ही जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई जाएगी।

विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि सरकार दो कानूनों को मिलाकर एक कानून बनाया जा रहा है। इस कानून के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के शहर और कस्बे तभी स्मार्ट बन सकते हैं, जब कानूनों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि एक ही विभाग से सम्बन्धित संसक्त विषयों पर विधियों को, जहां तक साध्य हो, एकल विधि में समामेलित करने के लिए राज्य सरकार की नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में एक नए अध्याय 12–क के रूप में विलयन किया गया है।

इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

बजट प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक व समग्र विकास को समर्पित– श्रीचन्द कृपलानी

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने कहा है कि वर्ष 2017–18 का बजट रोजगारोन्मुखी, विकासोन्मुखी एवं जनकल्याणकारी है। उन्होनें कहा कि यह बजट प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक व समग्र विकास को समर्पित है। बजट में प्रदेश के हर तबके का पूर्ण ध्यान रखा गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश के बजट में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के लिए मुख्य रूप से जो प्रावधान किये गये है। वो निम्नानुसार हैः–

- राजस्थान में शहरी क्षैत्र के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश के शहरी के विकास हेतु आगामी दो वर्षो में लगभग 9 हजार 500 करोड़ की राशि व्यव हेतु उपलब्ध रहेगी। इसके अंतर्गत smart city, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, RUDIP, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन इत्यादि सम्मिलित है।
- प्रदेश के 29 शहर अमृत योजना के तहत् चयनित है। इस योजना के 3 हजार 223 करोड़ 94 लाख रूपये के 95 प्रोजेक्ट चिन्हित किये गये है। जिसके तहत् जलापूर्ति, sewerage and septage management, storn water, शहरी परिवहन एवं हरित क्षैत्र तथा पार्कों के कार्य करवाये जा रहे है।
- प्रदेश के 4 हजार–जयपुर, कोटा एवं अजमेर का भारत सरकार द्वारा स्मार्ट योजना के तहत् चयन किया गया है। इस कार्य के संपादन के लिए अलग से स्मार्ट सिटी कम्पनीज का गठन किया गया है। आगामी वर्ष में इस योजना पर 640 करोड़ रूपये का व्यय होना अनुमति है।
- राज्य के शहरी क्षैत्र के नागरिकों को रियायती दर पर गुणवत्तायुक्त पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध करवाने हेतु अन्नपूर्णा रसोई योजना 15 दिसंबर से प्रारंभ की गई है। वर्तमान में यह योजना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़–झालरापाटन, प्रतापगढ़, बारां, डूँगरपुर व बाँसवाड़ा में प्रारंभ की गई है। जिसके तहत वर्तमान में mobile vans के माध्यम से प्रतिदिन 17 हजार व्यक्तियों को नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगामी वर्ष में इस योजना को राज्य की सभी नगरीय निकायों के प्रारंभ किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है, जिसके अंतर्गत Rooftop water havesting structures का निर्माण, बावड़ियों का पुनरूद्धार तथा urban forestry के कार्य 66 शहरों में किये जायेंगें। योजना के क्रियान्वयक हेतु वर्ष 2017–18 में 15 करोड़ 71 लाख रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य की 179 नगरीय निकायों में गौरव पथ का निर्माण करवाने का निर्णया लिया गया है, जिसके तहत वर्ष 2016–17 में 89 करोड़ 27 लाख रूपये तथा वर्ष 2017–18 में 357 करोड़ रूपये की लागत से गौरव पथ निर्माण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

- आगामी वर्ष में राज्य के सभी 190 शहरों में 625 स्थानों पर वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। यह सुविधा सभी निकाय कार्यालयों सहित उन शहरों के प्रमुख स्थलों, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन आदि पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

- आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया lease amouny एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

- विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01. 2001 से EWS/LIG के आवंटित आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक एक मुश्त जमा करने पर interest तथा penalty में शत–प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

- आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर निकायों की तरफ बकाया Urban Decelopment Tax जमा कराये जाने पर देय ब्याज तथा पेनल्टी की राशि में शत्–प्रतिशत छूट दिया जना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

- EWS तथा LIG श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत Urban Local Bodies के साथ–साथ private developers द्वारा पात्र EWS तथा LIG को सीधे आवंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर भी निर्धारित की पूर्ति करने पर stamp dusty के क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

- बजट के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश को उर्जा बचत के क्षेत्र में एलईडी लाईट के माध्यम से उर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी।

प्रदेश के सभी विवाह स्थलों होटल, स्कूल, कॉलेज, बड़े शॉपिंग काम्पलेक्स, नर्सरी आदि में कम्पोस्ट मशीन लगाना होगा अनिवार्य

प्रदेश के सभी विवाह स्थलों होटल, स्कूल, कॉलेज, बड़े शॉपिंग काम्पलेक्स, नर्सरी आदि में कम्पोस्ट मशीन लगाना अनिवार्य किया जायेगा एवं इसके लिए वर्तमान में प्रचलित नियमों में आवश्यकतानुसार परिर्वतन किया जायेगा। प्रदेश के सभी वाणिज्यिक परिसरों, दुकानों, लघु व्यापरियों, व्यवसायियों को अपने व्यवसाय स्थल पर कचरा पात्र रखना अनिवार्य होगा।

शहर को खुले मे शौच मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को अपनी सोच मे बदलाव लाना होगा। बीमारी का मूल कारण खुले में शौच एवं कचरा गंदगी का होना है।

प्रदेश के रेलवे ट्रेक शीघ्र ही खुले मे शौच मुक्त होंगे। इसके लिए सभी नगरीय निकाय अपने–अपने क्षेत्र में सर्वे करवायेंगी एवं सार्वजनिक शौचालयों के लिये स्थान निर्धारित करेंगी तथा आवश्यक अनुमति के लिए रेलवे अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्य सम्पादित करेंगी।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को लगभग 2.5 वर्ष पूर्ण हो चूके है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में अनेकों कार्य पूर्ण किये गये है। जिसमें मिशन की सफलता के लिए नियमावली तैयार करना प्रमुख है। प्रदेश में अब तक 400 से अधिक वार्डो को तथा 2 शहरों देवली व डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त किया जा चुका है। उन्होनें निर्देश दिये कि स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि सफाई व्यवस्था का यांत्रिकीकरण किया जाये तथा सभी विवाह स्थलों होटल, स्कूल, कॉलेज, बड़े शॉपिंग काम्पलेक्स, नर्सरी आदि में कम्पोस्ट मशीन लगाना अनिवार्य किया जाये। उन्होनें बताया कि इसके लिए शीघ्र ही विभागीय स्तर पर निर्देश जारी किये जायेंगे तथा वर्तमान में प्रचलित नियमों में आवश्यकतानुसार परिर्वतन किया जायेगा। उन्होनें कहा कि सभी नगरीय निकाय अपने–अपने क्षेत्रों में स्थित सभी वाणिज्यिक परिसरों, दुकानों, लघु व्यापरियों, व्यवसायियों को कचरा पात्र रखने के लिए निर्देशित करें एवं यदि पालना न की जाये तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उन्होनें सभी नगरीय निकायों को यह निर्देश भी दिये कि वे कचरा परिवहन व डोर–टू–डोर कचरा एकत्रिकरण कार्य में लगे वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लागू करें साथ ही नगरीय निकायों में पदस्थापित अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ताओं, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक को ई–कोर्स आवश्यक रूप से करवाए।

स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव, नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार श्री प्रवीण प्रकाश ने बैठक में बताया कि देश में सर्वप्रथम स्वच्छता को लेकर, नियमों में बदलाव राजस्थान प्रदेश में किया गया साथ ही डोर–टू–डोर कचरा एकत्रीकरण का कार्य भी राजस्थान में ही शुरू हुआ। उन्होनें बताया कि देश में 4019 नगरीय निकाय क्षेत्र है। जिनमें से अब तक 612 नगरीय निकाय क्षेत्र खुले में शौच मुक्त हो चुके है। राजस्थान में अब तक 2 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त किया गया है तथा 33 नगरीय निकाय 30 जून, 2017 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होनें

अधिकारियों से कहा कि जिस घर में शौचालय निर्मित किया जा सकता है वहॉ आवश्यक रूप से शौचालय बनाया जाये एवं जहॉ पर स्थान नहीं है तो उन घरों के 500मी. के भीतर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाये तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में 1कि.मी. क्षेत्र में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाये। उन्होनें कहा कि 100 दिवस के भीतर किसी भी शहर को खुले में शौच मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। उन्हानें बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे, रक्षा मंत्रालय की भूमि पर शौचालय बनाने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है। उन्होनें कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र में जहॉ नागरिक निवास कर रहे हैं ऐसे सभी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण करवाये जा सकते है। उन्होने कहा कि सामुदायिक/सार्वजनिक शौचलाय के रखरखाव का कार्य दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में गठित स्वयं सहायता समूह से करवायी जा सकती है।

उन्होनें बताया कि राजस्थान में वर्तमान में आरडीएफ व कम्पोस्टिंग के 5 प्लान्ट कार्यरत है तथा 19 नये कम्पोस्ट प्लान्ट 2 अक्टूबर, 2017 तक प्रारम्भ हो जायेंगे तथा 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में शीघ्र ही लगाये जायेंगे। उन्होनें बताया कि प्रदेश के जिन नगरीय क्षेत्रों में कम्पोस्ट मशीन लगाने के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं आयी हैं। उन नगरीय निकायों में स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट बनाने का कार्य किया जायेगा। कम्पोस्ट बनाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया गया है। उन्होनें बताया कि यदि किसी शहर में 1 मैट्रिक टन कम्पोस्ट प्रतिमाह बनाकर बेचान किया जाता है, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए 1500 रू. मैट्रिक टन अनुदान संबंधित नगरीय निकाय को दिया जायेगा। पूर्व में यह अनुदान फर्टीलाईजर कम्पनीयों को दिया जाता था। उन्होनें कहा कि अब समय है कि सभी सोसायटी अपने–अपने क्षेत्र में कम्पोस्ट मशीन लगाये, कम्पोस्ट बनाओं, कम्पोस्ट अपनाओं इससे जहॉ एक ओर स्वच्छता बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर भूमि की उर्वरकता में भी बढ़ोत्तरी होगी। आज आवश्यकता है कि प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज गार्डन, नर्सरी, विवाह स्थल, वाणिज्यिक परिसर में छोटे कम्पोस्ट मशीनें लगायी जाये। केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही सभी कम्पोस्ट मशीनों डीजीएसएण्डडी रेट कांट्रेक्ट के तहत लाया जायेगा। जिससे सभी नगरीय निकाय एवं अन्य नियमों के तहत उनको क्रय कर सकेंगी।

स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर एवं नगर परिषद डूंगरपुर के सभापति श्री के.के.गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों, विद्यालयों, कॉलेजों में, शौचालयों का निर्माण किया जाये एवं इनका रख–रखाव स्वयं सहायकता समूहों को अथवा संबंधित नगरीय निकायों को सौंपा जाये। उन्होनें कहा कि शहर को खुले मे शौच मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को अपनी सोच मे बदलाव लाना होगा। बीमारी का मूल कारण खुले में शौच एवं कचरा गंदगी का होना है। उन्होनें नगरीय निकायों को नसीहत दी की वे वार्ड वाईज खुले में शौच मुक्त प्रारम्भ करें तथा इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। उन्होनें कहा कि इस कार्य के लिए नागरिकों के साथ–साथ नगरीय निकायों के कर्मचारियों प्रोत्साहित करना होगा। उन्होनें यह भी बताया कि सभी नगरीय निकायों में कचरा उठाने का अथवा घर–घर कचरा एकत्रित करने का कार्य प्रातः 06:30 बजे से 09:30 बजे तक रखा जाये।

प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे, जून 2017 तक एवं टाउन वेण्डर कमेटियों का गठन अप्रैल 2017 तक

प्रदेश की सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक–एक आश्रय स्थल का निर्माण एवं संचालन आवश्यक रूप से किया जायेगा। प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे, जून 2017 तक एवं टाउन वेण्डर कमेटियों का गठन अप्रैल 2017 तक किया जायेगा।

बैठक में दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि योजना अन्तर्गत शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने के 8750 के लक्ष्य की प्रगति के विरूद्ध अब तक 6097 समूहों का गठन किया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये 12000 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार स्वरोजगार हेतु बैंको से 3450 परिवारों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में एसएलबीसी के अधिकारियों को लक्ष्यानुरूप ऋण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया एवं उन्हें कहा कि वे आगामी वित्तीय वर्ष में 12500 परिवारों को ही ऋण उपलब करवायें। बैठक में बताया गया कि योजनान्तर्गत अब तक शहरी गरीब परिवारों के युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था, जिसकी प्रगति कम होने के कारण विभाग द्वारा योजना की गाइडलाइन अनुसार अन्य प्रशिक्षण प्रदाताओं को सीधे ही कार्य आबन्टित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि योजना की गाइडलाइन अनुरूप शहरी क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों की मांग व आपूर्ति का सर्वे (Skill Gap Analysis) कराया जावे। योजना अन्तर्गत बेघर व्यक्तियों के निःशुल्क ठहरने के लिए नगर निकायों द्वारा 202 स्थायी व 141 अस्थायी आश्रय स्थल संचालित किये जा रहे है। बैठक में निर्णय लिय गया कि सभी नगर निकाय में न्यूनतम 50 व्यक्तियों की क्षमता का एक आश्रय स्थल का निर्माण व संचालन अवश्य किया जावे। स्ट्रीट वेण्डर्स के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सभी नगर निकायों में टाउन वेण्डिग कमेटियों का गठन अप्रेल तक तथा सर्वे माह जून तक पूर्ण किया जावे। बैठक में यह निर्देश भी दिये गये कि माह मई – जून में नगर निकायों में आयोजित होने वाले कैम्पों में योजना से सम्बन्धित समस्त घटकों के आवेदन पत्र तैयार कराये जावें।

अन्नपूर्णा रसोई योजना अब हरियाणा में भी शुरू होगी

अन्नपूर्णा रसोई योजना अब हरियाणा में भी शुरू होगी। हरियाणा के श्रम मंत्री श्री नायब सिंह शुक्रवार को दोपहर में स्वायत्त शासन विभाग में जाकर योजना की जानकारी ली एवं अन्नपूर्णा रसोई वैन का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ मनजीत सिंह, निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा तथा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर निदेशालय में हरियाणा के श्रम मंत्री श्री नायब सिंह को निदेशक स्थानीय निकाय विभाग श्री पवन अरोड़ा ने बैठक में अन्नपूर्णा रसोई योजना की सम्पूर्ण जानकारी दी।

हरियाणा के श्रम मंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि उन्होनें अपने स्तर पर जयपुर शहर में 5 स्थानों पर जाकर अन्नपूर्णा रसाई योजना के दौरान आमजन को खिलायें जाने वाले अल्पाहार एवं भोजन की जानकारी प्राप्त की। उन्होनें कहा कि यह एक बेहतरीन योजना है। जिसका संचालन राजस्थान प्रदेश में आमजन के हित के लिए किया जा रहा है। उन्होनें बताया कि योजना की जानकारी के लिए अलग–अलग स्थानों पर जाकर योजना की जानकारी आमजन से भी प्राप्त की। सभी व्यक्तियों ने योजना को लाभकारी बताया है।

श्री नायब सिंह ने कहा कि यह एक आदर्श योजना है, जो जनहित में चलायी जा रही है। इस योजना को हरियाणा प्रदेश में भी लागू किया जायेगा तथा वहॉ पर 10रू. में नाश्ता एवं 10रू. में भोजन की व्यवस्था की जायेगी।